5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(169)

प्र.क. /2016 पुनर्विलोकन रिव्यु-1826-I-16

1. श्रीमती तृप्ति पाठक पुत्री स्व. मनोहरराव पाठक
2. शान्तनु पाठक पुत्र. स्व. मनोहरराव पाठक
3. आशुतोष पाठक पुत्र स्व. मनोहरराव पाठक
4. पवन पाठक पुत्र स्व. मनोहरराव पाठक
5. श्रीमती वसुधा पाठक पत्नी स्व. मनोहरराव पाठक
6. श्री देव मुरलीधर जी मंदिर मुहत्तकार प. पवन कुमार पुत्र स्व. श्री मनोहरराव पाठक सभी निवीसगण स्टेशन चौराहा सिविल वार्ड नं. 8 दमोह तह. व जिला दमोह (म.प्र.)

..........आवेदकगण

विरूद्ध

1. सुभाष पाठक पुत्र स्व. बसंत पाठक निवासी जे.डी.ए. स्कीम नंबर 338/14 विजय नगर घडी चौक के आगे कमल बिहार के पास जबलपुर
2. श्रीमती शोभना जोशी पत्नी रवीन्द्र जोशी निवासी 13 विनय चावला कोऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी प्लाट नं. 95/5 तरूण भारत कॉम्पलेक्स अंधेरी (पूर्व) मुंबई
3. श्रीमती चित्रा कविश्वर पत्नी किशोर कविश्वर निवासी बी–20 इंडस्ट्रीयल एप्लाई सोसायटी न्यू सामा रोड बड़ोदा गुजरात

मुकेश भार्गव एडवोकेट द्वारा आज दि. 7-6-16 को प्रस्तुत

7-6-16

मुकेश भार्गव एडवोकेट ग्वालियर

12. श्रीमती मीना नाईक पत्नी डा. जी.व्ही. नाईक साकिन – प्रायवेट प्रेक्टिसनर एक्सरे क्लीनिक महावीर चौक जालना, औरंगाबाद महाराष्ट्र
13. श्रीमती लता मुसारी पत्नी सुरेश राव एम.एल.बी. रोड, शिंदे की छावनी परूस्कर का बाडा, जीवन ज्योति नर्सिंग होम के सामने लश्कर ग्वालियर
14. सुधाकर राव पाठक पुत्र श्रीनाथराव पाठक
15. श्रीमती अपेक्षा जोशी पत्नी जयंत जोशी द्वारा सुधारक पाठक,
16. पदमाकर राव पाठक पुत्र स्व. श्रीनाथ राव
17. श्रीमती प्रगति पाठक पत्नी पदमाकर पाठक निवासीगण कमांक 14 से 17, स्टेशन चौराहा सिविल वार्ड नंबर 8, दमोह तहसील व जिला दमोह म.प्र.

....., अनावेदकगण

माननीय सदस्य श्री आशीष श्रीवास्तव राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 4003–दो/2015 एवं अपील कमांक 3984/2015 दो प्रकरण में संयुक्त रूप से पारित आदेश दिनांक 05.04.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि, व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित डिकी के अनुसार धारा 54 सी.पी.सी. के अंतर्गत बंटवारा हेतु माननीय कलेक्टर या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Review 1826-I/16 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–10–2016	आवेदकगण के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित । अनावेदक कमांक 2 स्वंय एवं उनके अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर, एवं अनावेदक कमांक 3 सुचेता अवर्डीकर उपस्थित । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 4003–दो/15 एवं अपील प्रकरण कमांक 3984/15 में पारित आदेश दिनांक 5–4–16 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2/ उभयपक्षों को ग्राह्यता पर सुना गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलौच्य आदेश का अवलोकन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1 नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी । 2 अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। वैसे भी राजस्व मण्डल के आक्षेपित आदेश दिनांक 5–4–16 से प्रकरण में नियमानुसार उचित आदेश पारित किया गया है । अतः इस रिव्यू आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यू प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हो। सदस्य	